लय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज बलवाई बनाम विश्राम मु. सं. 54/2023 (प्रा.प्र.)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.11.2024	

प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम हड़िया तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 435 रकबा 1.04 हैक्टर प्रार्थिया एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। वाक्या दिनांक 02.06.2023 का है कि प्रार्थिया अपनी खातेदारी की आराजी पर थी तब अप्रार्थी सं. 1 व 2 को उक्त आराजी का विधिवत तकास्मा कराये जाने का निवेदन किया कि तहसील कार्यालय चलकर हिस्से के अनुसार तकास्मा करवा लेते है तो अप्रार्थीगण ने कहा कि हमें बंटवारा की आवश्यकता नहीं है हम तहसील में नहीं जावेगे। तुम्हें तकास्मा आवश्यक होतो अपने हिसाब से करवालों। अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिवंत बंटवारा कराये आराजी में निर्माण कार्य करने तथा आराजियात मुतनाजा को दीगर व्यक्तियों को रहन बय व मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थिया को धमकी दी। यदि उक्तानुसार अप्रार्थीगण अपनी कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो प्रार्थिया को अपूररनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति उसे किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित हुए जिन्हें पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाव पेश नहीं किया गया। इनका जबाव बंद किया गया एवं अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 बाबजूद तामिल के उपस्थिति नहीं हुए इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने वकील उभय पक्ष की वहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबंदी संवत् 2071–74 का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त वर्णित आराजी उभय की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थिया की आराजी पर कब्जा कर सकते है जिससे प्रार्थिया को अपूरनीय क्षति होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

अतः प्रर्थिया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम हडिया तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 435 रकबा 1.04 हैक्टर में प्रार्थिया के हिस्सा तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा